बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना
(राजस्व विभाग)

पत्रांक राज0 / विविध / 1614 / 2010 दिनांक 24 SEP 2012

प्रेषक,

के0के0 वर्मा,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया।

विषयः– विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से विद्युत विपत्र की राशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

दिनांक 14.09.2012 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुए Videoconferencing के दौरान कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि विद्युत विपत्र की राशि जमा करने हेतु उपभोक्ता की कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए सुचारू व्यवस्था की जानी है।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वर्तमान कलेक्शन काउन्टर के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से अररिया जिला के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर 216 केन्द्र खोला गया है जिसके माध्यम से उपभोक्तागण विद्युत विपत्र की राशि अपने निकटतम वसुधा केन्द्र पर जमा कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को विद्युत विपत्र के अतिरिक्त कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। सहज वसुधा केन्द्र को कमीशन के रूप में राशि का भुगतान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपने स्तर से किया जा रहा है। इस सुविधा के सम्बन्ध में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा समाचार–पत्र आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों को इसे प्रचारित करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से बिजली बिल की राशि जमा करने के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन के स्तर से भी प्रचार–प्रसार करवाने की कृपा की जाय ताकि सभी विद्युत उपभोक्तागण इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(के0 के0 वर्मा)
सचिव

ज्ञापांक........ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि, महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, कोशी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, सहरसा / विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पूर्णियां / विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(के0 के0 वर्मा)
सचिव

ज्ञापांक 2317 पटना, दिनांक 19-09-2012

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5229
24/9/012

(के0 के0 वर्मा)
सचिव